श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र केवल आन लाइन पद्यति से भरा जाना है तथा आवेदन पत्र की हार्डकापी अपने पास सुरक्षित रखी जानी है जिसे काउसिंलिग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

बी0एड0 प्रवेष परीक्षा 2016 हेतु आन लाइन आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

1	आन लाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ होने की तिथि	16 जून 2016
2	आन लाइन आवेदन पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि	05 जुलाई 2016
3	परीक्षा षुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	08 जुलाई 2016
4	प्रवेष पत्र डाउनलोड करने की तिथि	10 जुलाई से
5	परीक्षा तिथि	17 जुलाई 2016

प्रवेश परीक्षा का शुल्क

1. सामान्य एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए — रू0 800.00
2. अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/विकलांग अभ्यर्थियों के लिए — रू0 400.00

नोटः— आन—लाइन आवेदन के शुल्क जमा करने हेतु बैंक शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

बी0एड0 प्रवेष परीक्षा 2016—18 के लिए प्रवेष परीक्षा केन्द्र

01— गोपश्वर
02— कर्णप्रयाग
03— अगस्त्यमुनि
04— श्रीनगर
05— पौड़ी
06— कोटद्वार
07— नई टिहरी
08— उत्तरकाशी
09— ऋषिकेश
10— देहरादून
11— रूड़की
12— हरिद्वार

नोटः— प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारिण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा केन्द्रों की संख्या न्यूनतम रखने का प्रयास किया जायेगा और परीक्षा केन्द्र उन्ही संस्थाओं को बनाया, जिनकी स्वच्छ परीक्षा व्यवस्था हेतु अच्छी ख्याति रही हो।

:— प्रवेष परीक्षा कार्यक्रम :—

थ्दनांक	दिवस	समय	परीक्षा प्रष्न–पत्र
17–07–2016	रविवार	प्रातः 10–12	प्रथम प्रश्न–पत्र–भाषा तथा सामान्य ज्ञान
17–07–2016	रविवार	सांयः 2–5	द्वितीय प्रश्न–पत्र– एप्टीट्यूट टेस्ट

बी0एड0 प्रवेष परीक्षा सत्र 2016–18 (दो वर्षीय)

1. अत्यन्त आवष्यक निर्देष (Important Instruction)

अभ्यर्थी आवेदन भरने से पूर्व आवेदन पत्र एवं इस विवरणिका में अंकित निर्देशों एवं नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होना आवश्यक है।

2. अवधि

बी0एड0 कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्ष (चार सेमेस्टर) की अवधि का होगा, तथापि कोई अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को प्रवेश से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक पूर्ण कर सकता है।

3. कार्य दिवस

(क) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित कार्य दिवसों में पठन–पाठन हेतु उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) सभी पाठ्यचर्यात्मक कार्य तथा प्रायोगिक कार्य के लिये छात्र–अध्यापकों के लिए न्यूनतम उपस्थिति 80% होगी तथा स्कूलबद्ध प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम उपस्थिति की सीमा 90% होगी।

4. पात्रता (Eligibility)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद **(NCTE)** द्वारा जारी नवीनतम् प्रवेश नियम 3.2 अर्हता के अन्तर्गत बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत हैः–

(अ) बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित अभ्यर्थियों के मामले में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, परन्तु इस नियम के अन्तर्गत 44.9 प्रतिशत को 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा। इसी प्रकार अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में स्नातक अथवा परास्नातक अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं, परन्तु इस नियम के अन्तर्गत 49.5 प्रतिशत को 50 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।

(ब) जो अभ्यर्थी वर्ष 2016 की मुख्य परीक्षा में स्नातक/परास्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए/हो रहे हैं, वे सत्र 2016–18 की बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के

लिए आवेदन कर सकते है, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को बी0एड0 कक्षा में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा बी0एड0 कक्षा में प्रवेश उपरोक्त बिन्दु 'अ' में निर्धारित अर्हता धारक होना आवश्यक होगा।

5. आरक्षण (Reservation)

उत्तराखण्ड प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 देहरादून दिनांक 18 जुलाई 2001 के अनुसार बी.एड. कक्षाओं में प्रवेश के लिये स्थानों का आरक्षण उस महाविद्यालय में सीटों की कुल संख्या में क्रमशः अनुसचित जाति–19%, अनुसूचित जनजाति–04%, अन्य पिछड़ा वर्ग– 14%, की सीमा तक किया जायेगा इसके अतिरिक्त शासन द्वारा महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

(I)	महिलायें	–	30%
(II)	स्वयं भूतपूर्व सैनिक (Self Ex Soldier)	–	05%
(III)	दिव्यांग व्यक्ति	–	03%
(IV)	स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित –	–	02%

जो व्यक्ति/महिला जिस वर्ग का होगा/होगी उसे श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा, उत्तराखण्ड़ शासन के आरक्षण सम्बन्धी संशाधित शासनादेश के अनुरूप ही आरक्षण देय होगा। आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के मूल निवासियों को ही देय होगा, उत्तराखण्ड से बाहर के आरक्षित अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।

टिप्पणी– दिव्यांग अभ्यर्थी को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि वह दिव्यांग श्रेणी में आते हुए भी चर्म रोग, हकलाना, मूक बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिससे बच्चों में फैलने या उनके कक्षा में शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।

6. अन्य निर्देश

1. ऑन लाईन आवेदन–पत्र की हार्ड कापी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान में जमा नहीं होगी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति अपने पास सुरक्षित रखे तथा काउसिंलिंग के समय समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र तथा अधिभार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। परीक्षा शुल्क चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।
2. बी0एड0 प्रवेश परीक्षा आवेदन को सावधानी पूर्वक भरें तथा सम्बन्धित वर्ग एवं श्रेणी पर तद्नुसार अंकित करें, किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन पत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार ही संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार अधिमान अंकों हेतु भी प्रमाण पत्र का प्रारूप इस विवरणिका में दिया गया है। इस प्रकार के सभी प्रमाण पत्र आवेदन पंजीकरण के पूर्व के निर्गत होने आवश्यक हैं।

4. आन लाइन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का आवेदन–पत्र मान्य नही होगा। आवेदन पत्र की फोटो कापी मान्य नही होगी।
5. आन लाइन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरान्त कोई भी अधिभार अंक संबंधी अथवा कोई भी अन्य प्रमाण–पत्र का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. बी0एड0 प्रशिक्षण में एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं है। जिस संस्थान में प्रवेश आवंटित होगा, उसी महाविद्यालय से बी0एड0 पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। अतः कोई प्रशिक्षाणार्थी स्थानान्तरण हेतु आवेदन न करें।
7. किसी भी अभ्यर्थी का वर्ग (Category) परिवर्तित नहीं होगा, अभ्यर्थी ने जिस वर्ग को आन लाइन आवेदन पत्र पर अंकित किया है उसका वर्ग वही रहेगा।
8. अल्प संख्यक समुदाय के अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने अल्प संख्यक समुदाय का वर्ग भी लिख दें यथा जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई आदि।
9. बी0एड0 कक्षा में प्रवेश उत्तराखड शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। उन्हें आवेदन पत्र भरने से पूर्व ध्यान से पढ़ लीजिये।
10. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र जाली पाये गये तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द करने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
11. किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा और न ही आगामी वर्षों हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।
12. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन किया है और अपने आवेदन–पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न नही किया है तो उसका आवेदन–पत्र निरस्त किये बिना सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
13. जिन अभ्यर्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से शास्त्री परीक्षा उर्त्तीण की हो एवं इण्टरमीडिएट स्तर तक अंग्रेजी विषय लिया हो अथवा शास्त्री परीक्षा के किसी भी वर्ष में अंग्रेजी विषय लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माने जायेंगे।
14. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है।
15. जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उन्हे अन्य राज्य वर्ग में रखा जायेगा। परन्तु उत्तराखण्ड निवासी ने यदि स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उत्तराखण्ड़ राज्य वर्ग में रखने हेतु सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
16. बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2016 के लिये परीक्षा केन्द्र बारह शहरों अर्थात गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, अगस्त्यमुनि, श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, देहरादून, रूड़की में प्रस्तावित किये गये है। अभ्यर्थी को इनमें से किसी एक शहर का चयन कर आवेदन पत्र में चयनित शहर

को ही अंकित करना है। **केन्द्र आवंटन के उपरान्त कोई भी केन्द्र परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा।**

17. आवेदन पत्र पर संलग्न **समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्र की छाया प्रतियां स्वयं हस्ताक्षरित होनी अनिवार्य है** तभी काउसिलिंग में सम्मिलित होने दिया जायेगा। अधिभार अंको के लिये प्रमाण–पत्रों के प्रारूप आवेदन पत्र पर संलग्न है। **स्थानान्तरण तथा प्रवजन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति भी प्रवेष के समय लाना आवष्यक है, अन्यथा प्रवेष देय नहीं होगा।**
18. बी0एड0 कक्षा में प्रवेश के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि अभ्यर्थी बी0एड0 प्रशिक्षण के लिए पूर्णतः स्वस्थ है। **प्रवेष के बाद प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।**
19. बी0एड0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के लिये पूर्ण विवरण देने पर ही विश्वविद्यालय कार्यालय उत्तर दे सकेगा तथा अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।
20. वाणिज्य के स्नातक को कला समूह मे रखा जाएगा, इस प्रकार दो समूह होंगे।

    (1) कला एवं वाणिज्य (कला समूह) (2) विज्ञान समूह

    परन्तु एप्टीट्यूट टेस्ट–कला, वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिये अलग–अलग होगा। अभ्यर्थी केवल उसी समूह (Group) को चुन सकता है जिस समूह (Group) से उसने स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो।
21. अभ्यर्थियों के निम्नलिखित वर्ग **(Category)** एवं उपवर्ग हैं जो कि शासनादेश के अनुसार संशोधित किये गये है–

वर्ग **(Category)**	कोड	उपवर्ग **(Category)**	कोड
सामान्य (General)	**Gen**	दिव्यांग (Handicapped)	**H**
अनुसूचित जाति (Schedule Cast)	**SC**	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	**F**
अनुसूचित जनजाति(Schedule Tribe)	**ST**	भूतपूर्व सैनिक (स्वयं अभ्यर्थी)	**Ex-S**
अन्य पिछड़ी जाति	**OBC**	महिला अथ्यर्थी	W

विषेषः एक अभ्यर्थी केवल एक ही वर्ग चुन सकता है एक बार वर्ग (Category) को चुनने के उपरान्त अन्य किसी वर्ग में समायोजन किसी भी दषा में नहीं किया जायेगा।

22. प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता के सम्बन्ध में आनलाइन आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी के दावे के आधार पर प्रवेश परीक्षा/काउसिलिंग करायी जायेगी, किसी भी प्रकार की गलत अथवा भ्रामक जानकारी आवेदन पत्र में भरने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा।
23. प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने के उपरान्त विभिन्न सम्बद्ध संस्थानों में प्रवेश हेतु काउसिंलिग का आयोजन किया जायेगा, काउसिंलिक के समय अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की भी जांच की जायेगी, पूर्ण रूप से सफल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश हेतु अर्ह माना जायेगा।

7. अधिभार अंक

1. अधिभार अंकों का आवंटन –

निम्नलिखित श्रेणी में से किसी एक में आने वाले अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक आंवटित किये जायेंगे, किन्तु उसका कुल योग 25 अंक से अधिक नहीं होगा।

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सा अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को।

(1) इण्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा

1. प्रथम स्थान पाने पर	15 अंक
2. द्वितीय स्थान पाने पर	10 अंक
3. तृतीय स्थान पाने पर	05 अंक

(2) टीम आइटम मेः–

1. सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम सदस्य होने पर	15 अंक
2. उपविजेता (रनर्स अप) टीम सदस्य होने पर	10 अंक
3. प्रतियोगिता टीम का सदस्य होन पर	05 अंक

नोट : (1) उपर्युक्त मद संख्या 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत केवल एक ही आइटम का लाभ देय होगा, अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आइटम में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/आइटम लाभ देय होगा।

(2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ख) निम्नलिखित मदों में से केवल एक का लाभ देय होगाः–

नेशनल केडिट कोर में सी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को–15 अंक या

नेशनल केडिट कोर में बी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष तथा महिला अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को–10 अंक या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को–05 अंक या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा एवं विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को – (स्नातक कक्षा में द्वितीय वर्ष में)–10 अंक या

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा स्नातक में दो वर्षो में तथा दो विशेष शिविर में भाग लेने वाल अभ्यर्थी को–15 अंक या

राष्ट्रीय सेवा योजना में सी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को–15 अंक

राष्ट्रीय सेवा योजना में बी प्रमाण पत्र पाने वाने अभ्यर्थी को– 10 अंक

स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी का–15 अंक या

स्काउट्स एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को–10 अंक या

स्काउट्स एवं गाइड्स का ध्रुवपद या गुरुपद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को–05 अंक

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री/पुत्र का पुत्र/अविवाहित पुत्री–15 अंक

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी जो अपंग लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के रूप में संबंधित हो– 15 अंक

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी0ए0सी0, या बी0एस0एफ0 या एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 या सी0आर0पी0एफ0 या होमगार्ड, सेवारत हो या ऐसे कर्मचारी का पुत्र पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी के रूप में संबंधित हो जो कार्यरत या सेवा निवृत अपंग या सेवारत रहते हुए मृत हो गया हो– 15 अंक

(च) ऐसे महिला अभ्यर्थी जो विधवा तलाकशुदा या परित्यक्ता हो ऐसे अभ्यर्थी को कानूनी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) दाखिल करने होंगे – 15 अंक

(छ) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के पूर्णकालिक, नियमित एवं वैतनिक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों या उनके (वित्त विहीन–मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को अंक देय नहीं होंगे)– 15 अंक

(2) यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त (क) से (छ) तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उस दशा में अधिकतम 25 अंक ही श्रेष्ठता सूची में जोड़े जायेंगे।

(3) स्वयं अभ्यर्थी या माता/पिता के एक ही विभाग में कार्यरत होने पर केवल एक ही व्यक्ति के प्रमाण–पत्र के आधार पर अधिभार अंक देय होंगे। अधिकृत एवं कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे तथा ऐसे प्रमाण–पत्रों में अधिभार अंक देय नहीं होंगे।

(4) बिन्दु–छ में उल्लिखित अधिभार सम्बन्धी प्रमाण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु निम्नांकित प्राधिकारी नियत हैं।

क्रम	अधिभार अंकों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	प्रति हस्ताक्षरित हेतु सक्षम अधिकारी
1.	एन.सी.सी. का 'सी' एवं 'बी' तथा 'जी' प्रमाण–पत्र	एन.सी.सी. निदेशालय रक्षा मंत्रालय का प्रमाण पत्र।
2.	एन.एस.एस. के अन्तर्गत संचालित शिविरों में भाग लेने का प्रमाण पत्र। (स्नातक के द्वितीय वर्ष मे ही प्रमाण पत्र मान्य होगा।)	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत संबंधित प्रमाण–पत्र। शिविर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।
3.	एन.एस.एस. के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा दो वषो में आवश्यक रूप से होनी चाहिए।	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।
4.	किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय वि.वि. खेलकूद प्रतियोगिता	संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या राज्य अधिकारी खेलकूद निदेशक का प्रमाण–पत्र/क्रीडा परिषद के अध्यक्ष।
5.	अन्तर विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता।	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या क्रीडा परिषद के अध्यक्ष
6.	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता	शासन से सम्बन्धित खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
7.	स्काउट्स एवं गाइड्स का पुरस्कार/राज्यपाल पुरस्कार	राष्ट्रपति/राज्यपाल/कमिश्नर स्काउट्स गाइड्स।
8.	ध्रुवपद या गुरूपद प्रशिक्षण प्राप्त।	राष्ट्रपति/राज्यपाल/कमिश्नर स्काउट्स

		गाइड्स।
9.	पुलिस	पुलिस–अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।
10.	होमगार्ड, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., एस.एस.बी., आई.टी.बी.पी. आदि।	वरिष्ठ पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण– पत्र।
11.	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षक का पाल्य एवं वार्ड तथा कर्मचारी वार्ड।	कुलसचिव / संकायाध्यक्ष / परिसर निदेशक / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी / प्राचार्य / प्राचार्या।
12.	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक / कर्मचारी पाल्य वार्ड (मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्थाई रूप से पूर्ण वेतनमान पर होना अनिवार्य है।	मुख्य शिक्षा अधिकारी / अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) / संयुक्त शिक्षा निदेशक / सहायक कमिश्नर / केन्द्रीय शिक्षा अधिकारी।

(5) शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य के प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी, तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी, यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा निर्गत एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सही एवं विद्यालय के अभिलेखों के आधार पर है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी अपना पूरा नाम व पद का उल्लेख करें।

(6) उप शिक्षा अधिकारी, उपविद्यालय निरीक्षक एवं कृते करके प्रदत्त एवं प्रतिहस्ताक्षरित शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी वार्ड का प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा। मान्यता प्राप्त विद्यालय में पूर्ण वेतनमान तथा पूर्णकालिक शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी होना आवश्यक है।

8. श्रेष्ठता सूची तैयार करना तथा संस्थानों का आवंटन

(1) प्रवेश परीक्षा में अंक तथा अधिभार अंक (जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी) को जोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित स्थानों के लिये पृथक–पृथक सूचियां तैयार की जायेगी।

(2) यदि प्रवेश परीक्षा तथा अनुमन्य अधिभार अंक के आधार पर दो या दो से अधिक छात्रों के अंक समान होते हैं तो श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्ध / सहयुक्त / संघटक महाविद्यालय के छात्रों को वरीयता दी जायेगी। उपर्युक्त व्यवस्था के उपरांत भी अंक समान आते है तो आयु में ज्येष्ठ को वरीयता दी जायेगी।

(3) श्रेष्ठता सूची के किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गई हो अथवा किसी के विरुद्व आपराधिक कानूनी कार्यवाही चल रही हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुसूचित साधन प्रयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निष्काषित किया गया हो ऐसे अभ्यर्थी का सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य / प्राचार्या का होगा, जिसके लिये उन्हें विश्वविद्यालय से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(4) प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रवेश हेतु काउसिंलिग का आयोजन किया जायेगा जिसमें संस्थानों के चयन हेतु अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जायेगा। संस्थानों का आवंटन रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के आधार पर ही किया जायेगा।

(5) यदि कोई संस्था स्वैच्छिक रूप से एसोसियेशन आफ सैल्फ फाइनेंस बी0एड0 कालेजेज द्वारा संचालित कामन प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होती है अथवा इस संगठन से सहयुक्त नहीं होती है तो ऐसे संस्थानों की प्रबन्धकीय सीटों को भी इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरा जा सकेगा। साथ ही विश्वविद्यालय एवं एसोसियेशन आफ सैल्फ फाइनेंस बी0एड0 कालेजेज की सहमति के आधार पर प्रबन्धकीय सीटों को भी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरा जा सकता है।

9. संस्थानों में प्रवेष

1) संस्थान आवंटन के उपरान्त 21 दिन के भीतर छात्र को महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश ले लेना चाहिए। इस अविध के उपरान्त प्रवेश हेतु उसका कोई हक नहीं रहेगा, और उसका अधिकार (CLAIM) स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

2)(क) प्रवेश से पूर्व संबंधित कालेज के प्राचार्य/प्राचार्या छात्रों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच करने के उपरान्त ही उन्हे प्रवेश देंगे।

(ख) अस्थाई प्रमाण पत्र (प्रोविजनल) के अन्तर्गत उल्लिखत प्रमाण–पत्र के लिये मान्य नहीं होंगे।

(ग) किसी भी छात्र को अन्तिम रूप में प्रवेश वर्जित करने से पूर्व प्राचार्य द्वारा कुलपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में सूची में तैयार करने के साथ एक प्रतीक्षा सूचित तैयार की जायेगी, यदि कक्षायें प्रारम्भ होने से एक मास के भीतर कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उनकी पूर्ति प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से की जायगी।

(ड) चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। जिससे इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि वह अभ्यर्थी हकलाता नहीं है, और कान, ऑख या किसी अन्य बीमारी के कारण अध्यापक होने के अयोग्य नहीं है।

(डा0 एस0एस0 रावत)
कुलसचिव

<u>बी0एड0 प्रवेष परीक्षा 2016 से सम्बन्धित आवष्यक निर्देष</u>

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल सत्र 2016–18 के पूर्णकालिक प्रवेश के लिये परीक्षा की तैयारी अधोलिखित निर्देश के अनुसार कीजिए।

1. बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों की उपलब्धियों का निम्न प्रश्न–पत्रों में मापन होगा–

प्रथम प्रश्न–पत्र–	हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान
द्वितीय प्रश्न पत्र–	एप्टीट्यूट टेस्ट–कला अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट– वाणिज्य अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट –विज्ञान

नोटः प्रष्न पत्र प्रथम में हिन्दी भाषा तथा सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा देनी है। द्वितीय प्रष्न–पत्र में एप्टीट्यूट टेस्ट–कला अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट–वाणिज्य अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट विज्ञान की परीक्षा देनी है।

2. प्रथम प्रश्न–पत्र को हल करने के लिए 02 घण्टे एंव द्वितीय प्रश्न–पत्र को हल करने के लिए 03 घण्टे का समय दिया जायेगा। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा एक ही दिन में होगी।
3. **परीक्षा प्रश्न पत्र एवं अर्हता अंक**

प्रश्न पत्र	कुल अंक	अर्हता अंक (सामान्य वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	अर्हता अंक (आरक्षित वर्ग) (एस0सी0 /एस0टी0)	समय
प्रथम– हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान।	200	80	54	2 घण्टे
द्वितीय– एप्टीट्यूट टेस्ट–कला/एप्टीट्यूट टेस्ट–वाणिज्य/एप्टीट्यूट टेस्ट–विज्ञान	200	80	54	3 घण्टे
अंकों का योग	**400**	**160**	**108**	

4. प्रत्येक अभ्यर्थी को 400 अंक की परीक्षा देनी होगी। सामान्य वर्ग/ओ0बी0सी0 के अन्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में पृथक 40 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न–पत्र में पृथक–पृथक 27 प्रतिशत अंक अर्हता के लिये प्राप्त करना आवश्यक है।

(प्रवेश परीक्षा हेतु अन्य निर्देष)

1. प्रत्येक प्रश्न पत्र (पुस्तिका) के साथ उत्तर पत्रक (Answer sheet) पृथक से होगी।
2. दोनो प्रकार के प्रश्न –पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये जायेंगे। प्रश्नों का स्वरूप बहुविकल्पीय होगा।

3. प्रत्येक प्रश्न–पत्र मे दो खण्ड होंगे। प्रथम खण्ड में प्रश्न तथा द्वितीय खण्ड में प्रश्नों के उत्तर के लिये चार विकल्प दिये जायेंगे। उनमें से एक सबसे सही अथवा सही उत्तर होगा। अभ्यर्थी को उत्तर के क्रम को काली इंक से उत्तर–पत्रक पर अंकित गोले को भरना होगा।

4. अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र हल करते समय जिस प्रश्न का उत्तर देना है, पहले उसके क्रमांक को ध्यान से पढ़े तथा उत्तर के लिये विकल्पों को पड़कर सही अथवा सर्वोत्तम उत्तर के क्रमांक को उत्तर पत्रक के प्रश्न क्रमांक में अंकित गोले को काली स्याही से भरना है।

उदाहरण प्रश्न 15 – भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे–

(A) डॉ0 संजीव रेड्डी (B) ज्ञानी जैल सिंह (C) डॉ0 राजेन्द प्रसाद (D) डॉ0 जाकिर हुसैन

इस कथन का सही उत्तर डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद है। अतः उत्तर–पत्रक में क्रमांक (C) गोले को भरना है। उपरोक्त मे प्रश्न पत्र का क्रमांक 15 है तथा सही विकल्प क्रमांक (C) हैं अभ्यर्थी को अपने प्रपत्र (Answer sheet) में प्रश्न सं0 15 के सामन वाले गोले को काली स्याही से भरना है।

उत्तर का उदाहरण– (A) (B) (●C) (D)

5. प्रथम प्रश्न–पत्र हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान का होगा अर्थात् अभ्यर्थी को सामान्य ज्ञान के प्रश्न–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी का एक चयन करना है।

6. हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान की पुस्तिका में पहले 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के तथा दूसरे 100 प्रश्न हिन्दी भाषा के होंगे । इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान की प्रश्न–पुस्तिका में पहले 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के तथा दूसरे 100 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के होंगे।

7. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यह प्रश्न–पत्र 200 अंको का होगा।

8. हिन्दी भाषा या अंग्रेजी भाषा परीक्षा मं स्नातक स्तर की सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी के स्तर के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

9. सामान्य ज्ञान के प्रश्न निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगे।

1. भारतीय इतिहास 2. भौगोलिक विशेषताएं 3. भारतीय संस्कृति 4. वैज्ञानिक तथ्य
5. राजनीति विज्ञान 6. तकनीकी उपकरण 7. वर्तमान घटनायें 8. सामाजिक तथ्य 9. खेलकूद।

10. हिन्दी भाषा के लिये प्रश्नों का उदाहरण–

प्रश्न– जल का पर्यायवाची है– A. अनिल B. समीर C. सलिल D. अनल

सही उत्तर– सलिल जिसका क्रमांक C उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

11. अंग्रेजी भाषा के लिये प्रश्नों का उदाहरण :–

<u>Questions</u>- Alternative of Word Answer is

A. Result B. Service C. Calculate D. Reply

सही उत्तर– Reply जिसका क्रमांक D उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

12. सामान्य ज्ञान के लिये प्रष्नों का उदाहरण –

प्रश्न– भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है।

A. उत्तर प्रदेश B. केरल C. गुजरात D. पंजाब

<u>सही उत्तर</u> – केरल जिसका क्रमांक B उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

13. द्वितीय प्रष्न–पत्र एप्टीट्यूट टेस्ट को होगा, एप्टीट्यूट टेस्ट तीन प्रकार का होगा।

1. एप्टीट्यूट टेस्ट कला 2. एप्टीट्यूट टेस्ट– वाणिज्य 3. एप्टीट्यूट टेस्ट– विज्ञान।

प्रत्येक एप्टीट्यूट टेस्ट के प्रश्न –पत्र अलग–अलग होंगे। अभ्यर्थी को तीनों में से उस टेस्ट काा चयन करना जिसमें उसने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

14. एप्टीट्यूट टेस्ट की प्रश्न पुस्तिका में 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यह प्रश्न–पत्र 200 अंकों का होगा।

15. <u>एप्टीट्यूट टेस्ट कला</u> में 100 प्रश्न सामान्य बुद्वि परीक्षा, तथा 100 प्रश्न कला संकाय के विषयों– इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान एवं अभिरूचि पर आधाति होंगे।

16. <u>एप्टीट्यूट टेस्ट–वाणिज्य</u> में 100 प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षा, तथा 100 प्रश्न वाणिज्य संकाय के विषयों से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान एंव अभिरूचि पर आधारित होंगें।

17. **एप्टीट्यूट टेस्ट– विज्ञान** मे 100 प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षा तथा 100 प्रश्न विज्ञान संकाय के विषयों–भौतिक शास्त्र रसाय शास्त्र वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान एंव अभिरूचि पर आधारित होंगे।

18. सभी विषय कला, वाणिज्य तथा विज्ञान की पाठ्य वस्तु स्नातक स्तरीय सामान्य ज्ञान एंव अभिरूचि पर आधारित होंगें।

19. <u>एप्टीट्यूट टेस्ट के प्रष्नों का उदाहरण :–</u>

प्रश्नः रमेश कृष्ण से अधिक बुद्धिमान है। प्रमोद उमेश से कम बुद्धिमान है। उमेश कृष्ण से अधिक बुद्धिमान है। इस प्रकार सबसे अधिक बुद्धिमान है–

A. उमेश B. रमेश C. प्रमोद D. कृष्ण

सही उत्तर – रमेश, जिसका क्रमांक B उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्न : उत्तर प्रदेश का सबसे औद्योगिक नगर है –

A. गाजियाबाद B. नोयडा C. कानपुर D. आगरा

सही उत्तर– कानपुर जिसका क्रमांक C. उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः प्रश्न के प्रथम खण्ड में दो शब्दों को विशेष संबंध है द्वितीय खण्ड में दिये हुए शब्दों के लिये समान संबंध का चयन कर उसके क्रमांक को अंकित कीजिए। लकड़ी, पानी, गुब्बारा।

A. आकाश B. रबड C. वायु D. उपरोक्त

सही उत्तर– वायु का क्रमांक C. उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः एक रूपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है।

A. स्टेट बैंक आफ इण्डिया B. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया C. भारत सरकार D. उपरोक्त सभी

सही उत्तर– भारत सरकार का क्रमांक C. उत्तर–पत्र पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः प्रश्न की संख्यायें किसी विशेष क्रम में रखी गयी है। उसी क्रम की श्रेणी को अगलरी संख्या का क्रमांक अंकित कीजिये।

श्रेणी 1, 4, 16, 25– A

A.38 B.26 C.36 D. 32

सही उत्तर – 36 जिसका क्रमांक C उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः पत्ती के कार्य हैं –

A. श्वास लेना B. पानी को वाष्प बनाना

C. पौधों के लिये भोजन तैयार करना D. उपरोक्त सभी कार्य करना है।

सही उत्तरः उपरोक्त सभी कार्य करना है का क्रमांक D उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

(डा0 एस0एस0 रावत)
कुलसचिव।

सत्र 2016–18 के द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रस्तावित स्ववित्त पोषित संस्थानों की सूची

S.No.	College Name
1.	Asha Academy, Vill.-Ramhatpur Fithmal, Post- Roorkee, Dist.-Haridwar.
2.	Aroma Girls College, Vill-Shantarshah, Post-Daulatpur, Tehsil Roorkee, Dist.-Haridwar.
3.	Arihant Educational Society, Vill.-Badhedi, Shantershah, Daulatpur Distt.- Haridwar(U.K.)
4.	Aryan College of Education, Devband Road, Vill-Mundate, Post-Manglore, Tehsil-Roorkee, Haridwar.
5.	Ashwathama College of Teacher Education, Vill.-Kalagaon, P.O.-Gujrada, Sahastradhara Road, Dist.- Dehradun.
6.	B.S.M. (Women) B.Ed College, Roorkee, Haridwar.
7.	Beehive College of Management & Technology, Vill-Jamanpur, Central Hope Town, Selaqui, Dehradun.
8.	Blue Mountain College of Teachers Education, Vill-Dohran Khas , Post-Kandoli, Dist.- Dehradun.
9.	Ch. Bharat Singh Institute of Teacher Education, Jhabrera, Haridwar
10.	Harsh Vidhya Mandir College of Education, Station Road, Vill.-Raise, Tehsil- Laksar, Dist.- Haridwar.
11.	Harish Chandra Ramkali B.Ed College, Vill.-Basedi, Post-Laksar, Haridwar.
12.	Himalayan Institute of Education & Technology, Vill.-Jilasu, Patwari Birt-Girsa, Post-Jilasu, via- Langasu,Tehsil-Pokhari, Chamoli.
13.	Jagannath Vishwa College of Education, Vill.-Manjri Grant, Doiwala, (Dehradun).
14.	Maya Devi Educational Foundation, Vill.-Central Hope Town, Tehsil-Selaqui, Dehradun.
15.	Northern India College of Education, Vill.-Bhadadi Rajputana, Post-Daulatpur, Roorkee, Dist- Haridwar.
16.	Nimbus School of Education, Vill.-Hadwali, Post-Jhajra, Tehsil-Vikasnagar, Dehradun.
17.	Northern Institute of Management Studies,Plot No.-Next To Doon Global School, Vill.-Jhajra, Post- Premnagar, Tehsil-Vikasnagar, Dehradun.
18.	Om Bio-Science & Pharma College A Faculty of B.Ed, Vill.- Panchanpur, Bharapur Bhori, P.O.- Dalutpur, Tehsil- Roorkee. (Haridwar).
19.	PITS B.Ed College Bhatwari, Vill.-Naitala, Tehsil Bhatwari, Distt-Uttarkashi.
20.	Phonics Group of Institutions, Roorkee. (Haridwar).
21.	RIMS College, Vill.-Dohiyanki, P.O.- Gurukul Narsan, Tehsil-Roorkee, (Haridwar).
22.	RCP'S Institute of Education, 09 Mile Stone Roorkee- Dehradun- Highway, Vill.-Kishanpur, Post- Bhagwanpur, Roorkee (Haridwar).
23.	Roorkee College Of Education, Vill.- Sherpur Khelmau, Tehsil- Roorkee, Distt.- Haridwar(U.K.)
24.	Shivalik Institute of Professional Studies, Shimla Road, Vill.- Sihniwala, Post- Sherapur, Tehsil- Vikasnagar, Dehradun.
25.	S. B. College of Education, Vill.-Bagugarh, Post- Vikasnagar, Dehradun.

26.	SGBG Memorial College of Education, Vill.-Harni, Post-Mundoli, Tehsil-Tharali, Distt Chamoli.
27.	Sunrise Academy Management Society, Opp. Deal Street, Raipur- Road, Dehradun.
28.	Vidhyavati College of Professional Education, Vill. Ruhalki Dayalpur, Tehl. Roorkee, Haridwar.

उपकुलसचिव / कुलसचिव / मा0 कुलपति

कृपया मा0 कुलपति सचिवालय में आहूत बैठक में निर्णय गये निर्णय कि विष्वविद्यालय की सत्र 2016–18 की बी0एड0 प्रवेष परीक्षा के आवेदन पत्र आन–लाइन भरे जायेंगे का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। प्रवेश परीक्षा हेतु षुल्क जमा करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक चम्बा में चालू खाता संख्या 34992755018 खोला गया है जो कि वित्त अधिकारी श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विष्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाता है।

प्रवेष परीक्षा हेतु विवरणिका तथा प्रवेष विज्ञप्ति प्रवेश परीक्षा हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गयी जिस पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है, विवरणिका एवं विज्ञप्ति सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं कृपया अवलोकन कर अनुमोदित करना चाहें। प्रवेष सम्बन्धी विज्ञप्ति दो समाचार पत्रों में प्रकाषित की जानी प्रस्तावित है, कृपया समाचार पत्र अनुमोदित करना चाहें।

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विष्वविद्यालय, बादषाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

Tel 01376-254065 website www.sdsuv.ac.in

पत्रांकः–　　　/एसडीएसयूवी/2016–17　दिनांक　　/06/2016

बी0एड0 प्रवेष परीक्षा सूचना– 2016

विष्वविद्यालय के सम्बद्ध स्व–वित्त पोषित संस्थानों में बी0एड0 द्विवर्शीय सत्र 2016–2018 में प्रवेष हेतु प्रवेष परीक्षा दिनांक 17 जुलाई 2016 (रविवार) को गढ़वाल मण्डल के विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। प्रवेष परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आन लाइन आवेदन दिनांक 16 जून 2016 से भरे जा सकते हैं। बी0एड0 प्रवेष परीक्षा हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैः–

1	आन लाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ होने की तिथि	16 जून 2016
2	आन लाइन आवेदन पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि	05 जुलाई 2016
3	परीक्षा षुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	08 जुलाई 2016
4	प्रवेष पत्र डाउनलोड करने की तिथि	10 जुलाई से
5	परीक्षा तिथि	17 जुलाई 2016

बी0एड0 प्रवेष परीक्षा 2016 के लिए न्यूनतम षैक्षिणिक अर्हता, आवेदन षुल्क, आरक्षण, संस्थानों की सूची, प्रवेष के नियम एवं आवेदन से सम्बन्धित विस्तृत दिषा निर्देष विष्वविद्यालय की वेवसाइट ूऐकेनअंणबणपद पर उपलब्ध लिंक ठण्म्कण म्दजतंदबम म्गंउ 2016 पर दिनांक 16–06–2016 से उपलब्ध होंगे।

(डा0 एस0एस0 रावत)
कुलसचिव

पत्रांकः–　　　/एसडीएसयूवी/2016–17　　　दिनांक　　/06/2016

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र को इस आषय से कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को दिनांक 16–06–2016 के संस्करण में प्रमुखता के साथ 6ग8 सेमी0 साइज में उच्च षिक्षा के हितों को देखते हुए 10 प्रतिषत छूट पर देहरादून/उत्तराखण्ड संस्करण में प्रकाषित कर बीजक दो प्रतियों में विष्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कश्ट करें।
2. वित्त अधिकारी।
3. श्री विमल मिश्र सहायक कुलसचिव (नोडल आफिसर)।
4. निजी सचिव, कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
5. प्रभारी परीक्षा/प्रभारी लेखा अनुभाग/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय।
6. विष्वविद्यालय नोटिस बोर्ड
7. कैम्प कार्यालय देहरादून।

8. श्री कुलदीप सिंह नेगी, को उक्त विज्ञप्ति विष्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव।

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2016 के आयोजन हेतु गठित समिति की बैठक कुलसचिव की अध्यक्षता में आज दिनांक 14–06–2016 को सम्पन्न हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही।

1. डा0 एस0एस0 रावत, कुलसचिव
2. श्री दिनेश चन्द्र, उप कुलसचिव
3. श्री विमल मिश्र, सहायक कुलसचिव

2– समिति के सम्मुख बी0एड0 प्रवेश परीक्षा हेतु तैयार की गयी विवरणिका प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

3– प्रवेश परीक्षा की समय–सारणी पर निम्नवत् निर्णय लिया गया।

1	आन लाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ होने की तिथि	16 जून 2016
2	आन लाइन आवेदन पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि	05 जुलाई 2016
3	परीक्षा षुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	08 जुलाई 2016
4	प्रवेष पत्र डाउनलोड करने की तिथि	10 जुलाई से
5	परीक्षा तिथि	17 जुलाई 2016

4– प्रवेश परीक्षा हेतु शुल्क निम्नवत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

1. सामान्य एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए – रू0 800.00
2. अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/विकलांग अभ्यर्थियों के लिए – रू0 400.00

समिति द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं लिए गये उपरोक्त निर्णयों का अनुमोदन मा0 कुलपति महोदय से प्राप्त करने की संस्तुति की गयी।

(विमल मिश्र)
सहायक कुलसचिव

(दिनेश चन्द्र)
उप कुलसचिव

(डा0 एस0एस0 रावत)
कुलसचिव